

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1456] No. 1456] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2018/चैत्र 26, 1940

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2018/CHAITRA 26, 1940

### नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.आ. 1602(अ).—यत: केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर, 2017 के का.आ. 2920 (अ) के माध्यम से "सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियां उपकरण और संघटक माल (अनिवार्य पंजीकरण हेतु आवश्यकताएं) आदेश जारी किया था जो 5 सितंबर, 2018 से लागू किया गया था और यत:, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद, उक्त आदेश के लागू किए जाने की तारीख संलग्न अनुसूची में प्रत्येक उत्पाद के सामने किए गए उल्लेख के अनुसार उन्नत रहेगी।

2. यत:, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के परीक्षण के लिए, लिए जाने वाले समय पर विचार करते हुए एसपीवी मॉड्यूल के मामले में विनिर्माता परीक्षण को पूरा किए जाने की संभावित तारीख के साथ प्रयोगशालाओं को प्रतिदर्शों (नमूनों) के प्रमाण सहित यह स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके उत्पाद संबंधित भारतीय मानकों अथवा उनके आईईसी प्रतिस्थानियों (उत्तरवर्ती मानकों सहित, यदि कोई हो) के अनुरूप है। इस प्रकार की छुट 30 जून, 2018 तक लागू होगी।

यह प्रावधान किया गया है कि जिस माल के लिए स्व-प्रमाणन किया जा रहा है, को पहले ही आईईसी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, के मामले में ऊपर खंड 2 के अंतर्गत स्व-प्रमाणन के साथ प्रतिदर्शों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामले में, स्व-प्रमाणन के लिए आईईसी प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्टों के साथ संलग्न किया जाना पर्याप्त होगा।

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि आयातित सामग्री, जिसके लिए ऊपर खंड 2 के अनुसार स्व-प्रमाणन किया जा रहा है, के मामले में विनिर्माता अथवा आयातक द्वारा स्व-प्रमाणन किया जा सकता है।

# अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तिथि
		संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्रिस्टलाइन सिलिकॉन	आईएस 14286:	क्रिस्टलाइन सिलिकॉन	16 अप्रैल 2018
	टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी)	2010	टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक	
	मॉड्युल		(पीवी) मॉड्यूल- डिजाइन	
	(एसआई वफ़र आधारित)		योग्यता और अनुमोदन	
			प्रकार	

2201 GI/2018 (1)

क्र.सं.	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थिन फिल्म टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल (ए-एसआई, सीआईजीएस और	आईएस 16077: 2013	थिन फिल्म टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल- डिजाइन योग्यता	16 अप्रैल 2018
3.	सीडीटीई) पीवी मॉड्यूल (एसआई वफ़र और थिन फिल्म)	आईएस/ आईईसी 61730 (भाग-1): 2004	और अनुमोदन प्रकार निर्माण के लिए फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग 1 की आवश्यकताएँ	16 अप्रैल 2018 (अग्नि परीक्षण के बिना)
		61730	परीक्षण के लिए फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग 2 की आवश्यकताएँ	(अग्नि परीक्षण के
4.	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली में उपयोग के लिए विद्युत इन्वर्टर	है	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली भाग 1- सामान्य आवश्यकताओं में उपयोग के लिए विद्युत कन्वर्टर्स की सुरक्षा	(100 किलोवाट तक के इन्वर्टर के
		है	फोटोवोल्टेइक विद्युत प्रणाली भाग 2 इनवर्टर के लिए विशेष आवश्यकताओं में उपयोग के लिए विद्युत कन्वर्टर्स की सुरक्षा-	1 अक्टूबर 2018 (100 किलोवाट से
5.	उपयोगिता -इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक इनवर्टर	आईएस 16169: 2014	उपयोगिता-इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टेइक इनवर्टर के लिए आइलैंडिंग रोकथाम के उपाय की जांच प्रक्रिया	 16 अप्रैल, 2018 (100 किलोवाट

[फ़ा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी समन्वय]

प्रवीण कुमार, अपर सचिव

# MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April 2018

**S.O. 1602(E).**—Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" *vide* S.O 2920 (E) dated 5 September 2017 with the date of coming into force with effect from 5<sup>th</sup> September 2018. And whereas, having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order stands advanced as indicated against each product in the Schedule Annexed.

2. Whereas, considering the time taken for testing of the products mentioned in the Schedule annexed, the manufacturers in the case of SPV Module may submit a self-certification that their products conform to the relevant Indian Standards or their IEC counterparts (including subsequent Standards, if any) along with proof of submission of

samples to the laboratories with the expected date of completion of testing. Such relaxation shall be applicable till  $30^{th}$  June 2018.

Provided that submission of samples would not be necessary along with self-certification under Clause 2 above in case the material for which self-certification is being done has been already IEC certified. In such a case , it would be sufficient for the self certification to be accompanied by the IEC certificate and test reports

Provided further that in case of imported material for which self-certification is being given as per Clause 2 above, the self-certification may be given either by the manufacturer or the importer.

#### **SCHEDULE**

Sl. No.	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard	Date of Implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules (Si wafer based)	IS 14286 : 2010	Photovoltaic (PV) modules - Design Qualification And Type Approval	
2.	Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe)		Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval	
3.	PV Module (Si wafer and Thin film)	1): 2004 IS/IEC 61730	Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 1 Requirements for Construction Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 2 Requirements for Testing	fire test) 1 <sup>st</sup> July 2018 (with fire test)
4.	Power Inverter for use in photovoltaic power system	IS 16221 (Part 1) : 2016	Safety of Power Converters for use in Photovoltaic Power	inverters upto and including 100 kW)  1st October 2018 (for inverters above 100 kW)
5.	Utility –Interconnected Photovoltaic inverters	IS 16169 : 2014	Requirements for Inverters Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility- Interconnected Photovoltaic Inverters	16 <sup>th</sup> April 2018 (for

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.] PRAVEEN KUMAR, Addl. Secy.